N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0206 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/08/2025 19:05 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 12/08/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:21 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/08/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/08/2025 19:05:52 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 130 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** AAROPI KA NIJI KARAYALYA,, NAI MANDI GHADSANA,, JILA SHRIGANGANAGAR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BALJINDRA SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JAGROOP SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	7 CC,PADAMPUR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	7 CC,PADAMPUR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ANKUSH BAGHLA		पिता:RAKESH BAGLA	1. WARD NO.06,,MAHTAB COLONY,NAI MANDHI GHADHSANA,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 5,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 08.08.2025 को परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह, उम्र 38 वर्ष, पेशा खेती/मजदूरी, निवासी 7 सीसी, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर ने ब्यूरो कार्यालय बीकानेर में उपस्थित होकर श्री आनन्द मिश्रा पुलिस निरीक्षक कार्यवाहक प्रभारी चौकी के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेवामें श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बीकानेर। विषय - कार्यवाही करने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि मैं प्रार्थी बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह उम्र 38 साल पेशा खेती-मजदूरी निवासी 7 सीसी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी श्री बख्तावर सिंह जटसिख साकिन 7 सीसी पदमपुर के गोद गये हुए थे इसलिये मेरे पिताजी श्री बख्तावर सिंह के दतक पुत्र थे। श्री बख्तावर सिंह पुत्र श्री धन्ना सिंह की मृत्यु दिनांक 16.02.1988 को हो गई थी। श्री बख्तावर सिंह के नाम से चक 1 एमजीएम तहसील घड़साना में खाता संख्या 31 प.नं. 57/30 मु.नं. 41 किला नं. 1/1 में 0.228 हैक्ट. अ.क., किला नं. 1/2 में 0.025 खाला, किला नं. 2 सालम अ.क., किला नं. 9 ता 13 सालम-सालम अ.क., किला नं. 19 व 20 सालम-सालम अ.क., किला नं. 21/1 में 0.228 हैक्ट. अ.क., किला नं. 22/2 में 0.228 हैक्ट. अ.क., किला नं. 23/2 में 0.228 हैक्ट. अ.क., किला नं. 24/2 में 0.227 हैक्ट. अ.क. इस प्रकार कुल तादादी 3.441 हैक्ट. अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी रकबा राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वारिसान जांच कर इन्तकाल दर्ज करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र मेरे पिताजी ने दिनांक 28.07.2025 को तहसीलदार राजस्व घड़साना को पेश किया जिस पर हमारे गांव 7 सीसी के हल्का पटवारी ने मेरे पिताजी के वारिसान की तस्दीक की और मूल कागजात तहसीलदार पदमपुर ने दस्ती हमें दे दिया जिस पर दिनांक 04.08.2025 को हमनें ई-मित्र केन्द्र से कागजात ऑन-लाईन कर मूल कागजात हल्का पटवारी 2 एमजीएम (बी) श्री अंकुश बाघला को दे दिये। कागजात ऑन-लाईन करने के बाद दिनांक 06.08.2025 को मेरे पिताजी के मोबाईल नम्बर [redacted]पर शाम के वक्त टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें मेरे पिताजी द्वारा किये गये आवेदन को खारिज कर दिया गया। मैनें पटवारी को कागजात देते समय सम्पर्क किया था तब पटवारीजी ने मेरे से मोबाईल नम्बर लिये थे और फिर 6 तारीख को जब खारिज होने का पता लगा तो मैनें मेरे मोबाईल नम्बर [redacted]से पटवारी श्री अंकुश बाघला के मोबाईल नम्बर[redacted]पर कॉल किया और पटवारीजी से खारिज होने का कारण पूछा तो पटवारीजी ने मेरे को मिलने का बोला जिस पर मैं उसी दिन घड़साना जाकर पटवारीजी से मिला तो उन्होनें कहा कि प्रति किला 1000 रूपये लगेंगे आपका काम हो जायेगा। इस तरह उन्होनें कुल 15000 रूपये की मांग की। इस पर मैनें पटवारीजी को काम होने के बाद पैमेण्ट का कहा तो उन्होनें कहा कि नहीं पहले पैसे दोगे तब काम करूंगा। इसके बाद मैनें घर आकर पूरी बात अपने पिताजी को बताई तो मेरे पिताजी ने कहा कि अपना काम गलत नहीं है और सही काम के लिये पैसे नहीं देने हैं और बड़े अधिकारियों को शिकायत करने के लिये कहा। मेरे पिताजी के नाम इन्तकाल दर्ज करवाने के लिये मेरे पिताजी और मैं पटवारीजी को कोई रिश्वत राशि नहीं देना चाहते हैं तथा रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहते हैं। मेरे पिताजी बुजुर्ग है इसलिये उन्होनें पूरी कार्यवाही मेरे को करने का कहा है। पटवारी श्री अंकुश बाघला से मेरी पूर्व से कोई रंजिश नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई रूपयों आदि का लेन-देन है। मैं अपने जायज काम के लिये कार्यवाही करवाना चाहता हूं। दिनांक -08.08.2025 प्रार्थी एसडी बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह निवासी 7 सीसी पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर। श्री आनन्द मिश्रा पुलिस निरीक्षक, कार्यवाहक प्रभारी चौकी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने मुझ पुलिस निरीक्षक जय कुमार को अपने कक्ष में बुलाकर कार्यालय में बैठे व्यक्ति से परिचय करवाते हुए उसका नाम श्री बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह उम्र 38 साल पेशा खेती-मजदूरी निवासी 7 सीसी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर होना बताया तथा श्री बलजिन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट मन् पुलिस निरीक्षक के सुपुर्द कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए जिस पर परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह द्वारा पेश परिवाद का अवलोकन किया। परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में पहुंचा। परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह ने पूछताछ पर बताया कि मैं दसवीं तक पढ़ा लिखा हूं। मेरे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई है जो सही है तथा लिखित रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर हैं। परिवादी ने पूछताछ में अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में लिखित तथ्यों को मुझ पुलिस निरीक्षक को दोहराया। परिवादी की रिपोर्ट व पूछताछ से मामला पी.सी.एक्ट की परिधि में आना पाया गया। परिवादी द्वारा अपने आधार कार्ड, नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र, जगरूप सिंह के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र, जमाबन्दी, श्री बख्तावर सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र, 7 सीसी पटवारी की दैनिक डायरी, मूल निवास प्रमाण पत्र

जगरूप सिंह, दस्तावेज कागज खोला तथा वारिसान प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां जो स्वहस्ताक्षरित है, प्रस्तुत की जो प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह को रिश्वत की मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने के लिये कहा तो बताया कि आज पटवारी जी के मिलने की सम्भावना कम है और अब वक्त भी काफी हो गया है अब घड़साना जाने में भी काफी समय लगेगा। इसके अलावा कल रक्षाबन्धन का त्यौंहार है पटवारी शायद नहीं मिले इसलिये मैं आईन्दा यह कार्यवाही करवा दूंगा। अतः पटवारी के मिलने की कम सम्भावना को देखते हुए परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह को आगे की कार्यवाही हेतु आईन्दा पटवारी से सम्पर्क होने पर उसकी उपस्थिति की जानकारी के पश्चात् ब्यूरो कार्यालय में आने व अपने पिता श्री जगरूप सिंह से सहमति पत्र प्राप्त कर लाने हेतु पाबन्द किया गया व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत मुनासिब की जाकर इजाजत वापसी दी गई। दिनांक 11.08.2025 को वक्त 09.30 एएम पर परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह पूर्व की हिदायत के मुताबिक कार्यालय में सत्यापन कार्यवाही हेतु उपस्थित आया और अपने पिता श्री जगरूप सिंह की ओर से सहमति पत्र पेश किया जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह ने बताया कि मैनें मेरे मोबाईल से पटवारी श्री अंकुश बाघला के मोबाईल पर बात कर जमीन के कागजात ऑन लाईन करने के बारे में कहा तो पटवारी ने मुझे कहा है कि आप मेरे पास आ जाओ, जिस पर मैनें कहा कि मैं कल आपसे मिल लुगां। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि पटवारी श्री अंकुश बाघला मेरे काम के बदले रिश्वत की मांग कर लेगा मैं रिश्वत की मांग का सत्यापन आज ही करवा दूगां जिस पर श्री हरिराम कानि. 210 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह से परिचय करवाया गया। श्री हरीराम कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री राजवीर सिंह हैड कानि. से मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकार्डर सोनी कम्पनी का मय एक नया मैमोरी कार्ड 16 जीबी सिमट्रॉनिक्स कम्पनी का लाकर पेश किया जिस पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर में वक्त 10.11 ए.एम. पर मैमोरी कार्ड को स्थापित किया गया। परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही एवं डीवीआर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। परिवादी श्री बलजिन्द्रसिंह को श्री हरिराम कानि. 210 के साथ संदिग्ध से रिश्वत मांग की सत्यापन कार्यवाही के लिए वक्त 10.40 ए.एम. पर रवाना किया गया। वक्त 02.38 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक की कानिस्टेबल श्री हरिराम के मोबाईल नंबर [redacted] से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर [redacted] पर वार्ता हुई। श्री हरिराम कानिस्टेबल ने बताया कि मैं व परिवादी बीकानेर से बस से रवाना होकर करीब 01.00 पीएम पर नई मंडी घड़साना तहसील कार्यालय के पास पहुंचे। मैंने परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने हेतु रवाना किया था। मैं आस पास अपनी उपस्थित छिपाते हुए मुकीम रहा। परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह करीब 40-45 मिनट पश्चात मेरे पास गोपनीय स्थान पर उपस्थित आया, जिससे मैंने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। श्री हरिराम के मोबाईल से परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह से वार्ता की गई। परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह ने बताया कि मैं श्री हरिराम कानिस्टेबल से चालूशुदा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर तहसील कार्यालय नई मंडी घड़साना के पास स्थित पटवारी श्री अंकुश बाघला के प्राईवेट ऑफिस में गया, जहां श्री अंकुश बाघला उपस्थित मिले। पटवारी श्री अंकुश बाघला ने हमारे विरासतन नामान्तकरण दर्ज करने की एवज में पूर्व की पन्द्रह हजार रूपये के मांग के अनुसरण में वक्त सत्यापन 10000/-रूपये की मांग कर कल दिनांक 12.08.2025 को 3-4 बजे तक रिश्वत राशि मांगी है। बाद वार्ता के मैं रवाना होकर श्री हरिराम के पास गोपनीय स्थान पर आकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर श्री हरिरामजी को सुपुर्द कर दिया। परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन की फर्द ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही व रिश्वत राशि की व्यवस्था करने के बारे में अवगत करवाने पर परिवादी ने बताया कि मैं कल सुबह जल्दी आपके कार्यालय में रिश्वत राशि सहित उपस्थित आ जाउंगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई तथा श्री हरिराम कानिस्टेबल को अविलम्ब कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की तलबी करने पर जिला परिषद बीकानेर के श्री रामकुमार व्यास प्रशासनिक अधिकारी व श्री बीरबल राम सहायक प्रशासनिक अधिकारी के साथ उपस्थित आये। दोनों गवाहान से ब्यूरो की कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही जाने पर दोनों ने अपनी अपनी मौखिक सहमति दी। दोनों गवाहान को कार्यवाही हेतु कल दिनांक 12.08.2025 को वक्त 09.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय बीकानेर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित कर रवाना किया गया। वक्त 06.00 पीएम पर श्री हरीराम कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। श्री हरीराम कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर जरिए दूरभाष श्री हरिराम व परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह से हुई वार्तानुसार तथ्य बताये। मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री हरिराम कानिस्टेबल की मौजूदगी में डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर सुना तो वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई तथा वार्ता में परिवादी के बताये अनुसार तथ्य रिकॉर्ड होना पाये गये। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। आरोपी द्वारा दिनांक 12.08.2025 को रिश्वत राशि देने की मांग की गई। परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह व आरोपी श्री अंकुश बाघला राजस्व पटवारी के मध्य वार्ता में पंजाबी भाषा का उपयोग होने के कारण पंजाबी भाषा का ज्ञान रखने वाले श्री अमरीक सिंह कानिस्टेबल को श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर कार्यालय से तलब किया जाने पर दिनांक 12.08.2025 को उपस्थित आया। वक्त 09.00 एएम पर परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह उपस्थित आया तथा दिनांक 11.08.2025 को बताये तथ्यों की ताईद की तथा बताया कि पटवारी श्री अंकुश बाघला की मांग के अनुसार रिश्वत

में दी जाने वाली राशि 10000/-रूपये साथ लेकर आया हूं। वक्त 09.05 एएम पर तलबिदा स्वतंत्र गवाहान श्री रामकुमार व्यास, प्रशासनिक अधिकारी व श्री बीरबलराम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर उपस्थित आये। परिवादी व गवाहान का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह के प्रार्थना पत्र का दोनों गवाहान को अवलोकन करवाया गया एवं दिनांक 11.08.2025 को परिवादी व आरोपी श्री अंकुश बाघला के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के तथ्यों से अवगत करवाया गया। वक्त 09.15 एएम पर परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह व आरोपी श्री अंकुश बाघला राजस्व पटवारी के मध्य दिनांक 11.08.2025 को हुई वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय कम्प्यूटर से कनैक्ट कर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह एवं आरोपी श्री अंकुश बाघला, पटवारी पटवार हल्का 2 एमजीएम बी, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर के मध्य आरोपी पटवारी के निजी कार्यालय में हुई रूबरू वार्ता श्री हरिराम कानिस्टेबल व श्री अमरीक सिंह कानिस्टेबल की सहायता से तैयार की गई। मूल मैमोरी कार्ड में सेव वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायक से दो पैन ड्राईव तैयार किये जाकर एक पैन ड्राईव को कवर में डालकर सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पैन ड्राईव को अन्वेषण प्रयोजनार्थ कवर में डालकर खुली अवस्था में रखा गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रहने दिया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। वक्त 12.40 पीएम पर परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह जटसिख उम्र 38 वर्ष निवासी 7 सीसी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ने मन् जय कुमार, पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रूबरू उक्त गवाहान के कार्यवाही हेतु आरोपी श्री अंकुश बाघला पटवारी पटवार हल्का 2 एमजेएम (बी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10000/- (दस हजार) रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। नोटों के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार है - क्र.स. नोट का विवरण नोट नम्बर 1. एक 500 रूपये का नोट 2VW 171914 2. एक 500 रूपये का नोट 7SN 270931 3. एक 500 रूपये का नोट 4FF 294994 4. एक 500 रूपये का नोट 3AP 018629 5. एक 500 रूपये का नोट 7FM 140270 6. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711974 7. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711981 8. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711939 9. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711972 10. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711983 11. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711980 12. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711979 13. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711984 14. एक 500 रूपये का नोट 2HR 238593 15. एक 500 रूपये का नोट 9PP 922438 16. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711982 17. एक 500 रूपये का नोट 6DV 133404 18. एक 500 रूपये का नोट 7SM 655099 19. एक 500 रूपये का नोट 5TU 156684 20. एक 500 रूपये का नोट 8PF 136645 श्री इमरान खान, कनिष्ठ सहायक से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर उक्त सभी नोट एक अखबार के कागज पर रखवाकर उक्त श्री इमरान खान, कनिष्ठ सहायक से सभी नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री रामकुमार व्यास व श्री बीरबलराम से लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल व पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया व उक्त पाउडर युक्त नोट राशि 10000/- रूपये परिवादी के पहने कुर्ता की सामने की बांयी जेब में श्री इमरान खान, कनिष्ठ सहायक से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपित से मिलने पर रिश्वती लेनदेन के दौरान एवं रिश्वती लेन-देन हो जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर उसे देवे, लेन-देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि देने के बाद ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर दोनो हाथों को फेरकर ईशारा करें तथा यदि ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करके ईशारा करे। तत्पश्चात एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के गिलास में श्री इमरान खान, कनिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउडर की आपसी रसायनिक प्रतिक्रिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलवाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को बाहर फैंकवाया जाकर उक्त गिलास को जलवाकर नष्ट किया गया। श्री इमरान खान, कनिष्ठ सहायक के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री इमरान खान, कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत कर कार्यालय में छोड़ा गया। मन पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह को उसके मोबाईल में दर्ज करवाये गये। तत्पश्चात वक्त 01.40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह, स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री रामकुमार व्यास व श्री बीरबलराम व ब्यूरो के सर्व श्री आनन्द मिश्रा पुलिस निरीक्षक, श्री जगदीश चौधरी सहायक उप निरीक्षक, श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक, श्री राजेन्द्र नाई मुख्य आरक्षक, श्री रतन सिंह कानिस्टेबल, श्री हरिराम कानिस्टेबल, श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल, श्री भगवानदास कानिस्टेबल व श्री अमरीक

सिंह कानिस्टेबल मय ट्रेप सामग्री, कार्यवाही में प्रयुक्त डीवीआर मय स्थापित मैमोरी कार्ड के जरिए दो प्राईवेट किराये के वाहनों से घड़साना के लिए रवाना होकर वक्त 03.45 पीएम पर नई मंडी घड़साना तहसील कार्यालय के पास गोपनीय स्थान पर पहुंचे। आरोपी पटवारी श्री अंकुश बाघला से रिश्वत लेन-देन कार्यवाही हेतु परिवादी श्री बलजिंद्र सिंह को श्री हरीराम कानि. की सहायता से डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग चालू करवाई जाकर गोपनीय स्थान से आरोपी पटवारी के प्राइवेट कार्यालय के लिए रवाना किया गया, मैं पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान तथा शेष समस्त ट्रैप दल सदस्यों के साथ पृथक्-पृथक् तैनात हुआ। कुछ समय बाद परिवादी आरोपी पटवारी के कार्यालय के पास जाकर बिना ईशारा किये मन् पुलिस निरीक्षक के पास निर्धारित गोपनीय स्थान पर वापस आया जहां पर श्री हरीराम कानि. द्वारा परिवादी श्री बलजिंद्र सिंह से डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड की चालू रिकॉर्डिंग को प्राप्त कर बंद कर मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। गोपनीय स्थान पर परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया आरोपी पटवारी अपने कार्यालय में नहीं मिला, मैंने पटवारी से कॉल लगाकर बात करनी चाही तो पटवारी ने कॉल का कोई उत्तर नहीं दिया। परिवादी ने बताया कि आरोपी पटवारी का इंतजार किया जाना उचित होगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी के मुकीम रहा । वक्त 04.30 पीएम पर परिवादी ने बताया कि आरोपी पटवारी अपने प्राइवेट कार्यालय में आ चुका है। पटवारी के पास हमारे लंबित काम हेतु मांगी जा रही रिश्वत राशि लेनदेन संबंधी कार्यवाही के लिए जाना उचित होगा। परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह को हिदायत मुनासिब कर श्री हरिराम कानिस्टेबल से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन करवाकर परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह को सुपुर्द करने के दौरान डीवीआर का बटन दब जाने के कारण एक 30 सैकण्ड की ऑडियो क्लिप बनी जिसमें कार्यवाही सम्बन्धी कोई वार्ता नहीं थी। इसके बाद पुनः हरीराम कानि. की सहायता से डीवीआर की रिकार्डिंग चालू की जाकर डीवीआर को परिवादी को सुपुर्द करवाकर आरोपी से सम्पर्क करने हेतु उसके निजी कार्यालय के लिये रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के दोनों वाहनों सहित उचित स्थान पर मुकीम रहकर परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगे। परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह ने आरोपी पटवारी के प्राइवेट कार्यालय से बाहर निकलकर समय 05.21 पी.एम. पर मुझ पुलिस निरीक्षक को देखकर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर ईशारा किया, जिस पर तत्काल मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा अन्य समस्त ट्रैप दल को ईशारे से बुलाया जाकर परिवादी सहित आरोपी पटवारी के प्राईवेट कार्यालय पर पहुंचा। आरोपी पटवारी के प्राइवेट कार्यालय के मुख्य द्वार के रुप में लोहे के शटर वाला गेट लगा हुआ है। श्री भगवानदास कानि. की सहायता से सरकारी मोबाइल फोन में स्थापित मैमोरी कार्ड में कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करवाई गई। उक्त प्राइवेट कार्यालय में प्रवेश करने पर सामने लगी हुई टेबल के दूसरी तरफ कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। आरोपी के प्राइवेट कार्यालय में उपस्थित दो व्यक्ति भी बाहर निकलने लगे, जिन्हें ए.सी.बी. टीम का परिचय दिया जाकर ऐहतियातन कार्यालय में ही रुकने के निर्देश दिए गए। इस दौरान श्री हरीराम कानि. की सहायता से परिवादी से चालू डीवीआर मय स्थापित मैमोरी कार्ड प्राप्त किया जाकर रिकॉर्डिंग को बंद करवाया जाकर स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने बताया कि सामने टेबल के दूसरी तरफ बैठा हुआ व्यक्ति ही आरोपी पटवारी श्री अंकुश बाघला है जिसने मुझसे अभी कुछ देर पहले रिश्वत प्राप्त की है। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा पटवारी श्री अंकुश बाघला को स्वयं का तथा संपूर्ण ट्रेप दल व स्वतंत्र गवाहों का परिचय दिया गया तथा आरोपी पटवारी श्री अंकुश बाघला से पूछने व तहसील कार्यालय से जानकारी प्राप्त किए जाने पर विवरण "श्री अंकुश बाघला पुत्र श्री राकेश बाघला, उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नं. 6, महताब कॉलोनी, नई मंडी घड़साना, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर हाल पटवारी पटवारी हलका 19 जीडी, तहसील घड़साना अति. चार्ज पटवार हलका 12 जीडी व 2 एमजीएम-बी, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर "पाया गया। आरोपी पटवारी का दाहिना व बांया हाथ क्रमशः श्री जगदीश सउनि व श्री राजेंद्र नाई, हैड कानि. से कलाईयों से ऊपर पकड़वाए गए। आरोपी पटवारी श्री अंकुश बाघला से परिवादी के नामांतरकरण के कार्य की ऐवज में प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर पटवारी ने बताया कि मैं परिवादी से कोई रिश्वत प्राप्त नहीं की है। परिवादी ने इस क्रम में मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि पटवारी ने अपनी टेबल की दराज में रखवाकर मुझसे रिश्वत प्राप्त की है तथा रिश्वत राशि अभी टेबल की दराज में ही है। इस पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री बीरबल राम को निर्देशित किया जाकर आरोपी पटवारी की टेबल की उपरी दराज से रिश्वत राशि निकलवाई जाकर अन्य स्वतंत्र गवाह श्री रामकुमार व्यास की सहायता से रिश्वत राशि के नोटों के नंबरों का मिलान करवाया जाने पर फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत कार्यवाही के नोट क्रमांक 11-20 से नोटों का मिलान हुआ तथा नोटों का विवरण निम्न प्रकार होना पाया गया- क्र.स. नोट का विवरण नोट नम्बर 1. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711980 2. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711979 3. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711984 4. एक 500 रूपये का नोट 2HR 238593 5. एक 500 रूपये का नोट 9PP 922438 6. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711982 7. एक 500 रूपये का नोट 6DV 133404 8. एक 500 रूपये का नोट 7SM 655099 9. एक 500 रूपये का नोट 5TU 156684 10. एक 500 रूपये का नोट 8PF 136645 स्वतंत्र गवाह श्री बीरबलराम को उक्त नोटों को स्वयं के पास सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। परिवादी ने पूछताछ में बताया कि आरोपी पटवारी ने मेरे निवेदन पर रिश्वत राशि 10000/- रुपये में से कम करते हुए 5000/- रुपये ही प्राप्त किए थे, शेष 5000 रुपये मेरे पहने हुए कुर्ते की जेब में हैं। इस पर परिवादी को शेष राशि कुर्ते की जेब में रखने के निर्देश दिए गए। आरोपी पटवारी श्री

अंकुश बाघला से परिवादी श्री बलजिंद्र सिंह के दादाजी श्री बख्तावर सिंह के नाम चक 1 एमजीएम तहसील घड़साना में खाता संख्या 31 प.नं. 57/30 मु.नं. 41 किला नं. 1/1 में 0.228 हैक्ट. अ.क., किला नं. 1/2 में 0.025 खाला, किला नं. 2 सालम अ.क., किला नं. 9 ता 13 सालम-सालम अ.क., किला नं. 19 व 20 सालम-सालम अ.क., किला नं. 21/1 में 0.228 हैक्ट. अ.क., किला नं. 22/2 में 0.228 हैक्ट. अ.क., किला नं. 23/2 में 0.228 हैक्ट. अ.क., किला नं. 24/2 में 0.227 हैक्ट. अ.क. इस प्रकार कुल तादादी 3.441 हैक्टेयर का नामांतरकरण परिवादी के पिताजी श्री जगरुप सिंह के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की ऐवज में रिश्वत की मांग कर आज रिश्वत राशि प्राप्त किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु कहा गया तो पटवारी ने दोहराया कि मैंने परिवादी से कोई रिश्वत प्राप्त नहीं की है, न मैंने अपनी टेबल की दराज में कोई रिश्वत रखवाई है, बलजिंद्र सिंह ने मेरी दराज में रुपये खुद ही रख दिए होंगे। परिवादी ने लेन-देन के समय के घटनाक्रम के बारे में मुझ पुलिस निरीक्षक को पुनः बताया कि मैं आज जब पटवारी के प्राइवेट कार्यालय में जाकर मिला तो पटवारी ने मुझे अन्य काम में व्यस्तता होने के कारण कुछ देर रुकने के लिए कहा। कुछ देर बाद पटवारी ने अपना काम करके मुझसे खर्चा पानी लेकर आने के बारे में पूछा तो मैंने उनको खर्चा पानी लाना बताया था। उसके बाद पटवारीजी ने हमारे लंबित काम संबंधी ओटीपी आदि लेने की कार्यवाही की जाकर मुझे टेबल की दूसरी तरफ अपने पास बैठाकर मेरे निवेदन करने पर रिश्वत राशि कम करते हुए 5000 रुपये अपनी टेबल की दराज में रखवाकर रिश्वत राशि प्राप्त की। मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद पटवारी का कोई हाथ रिश्वत राशि दराज में रखते समय रिश्वत राशि के नोटों को लगा हो सकता है। उसके बाद मैंने पटवारी के कार्यालय से बाहर निकलकर आपको देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेनदेन का ईशारा कर दिया था। आरोपी पटवारी श्री अंकुश बाघला द्वारा परिवादी श्री बलजिंद्र सिंह से रिश्वत राशि लेनदेन की पुष्टि होने पर श्री राजवीर सिंह हैड कानि. व अन्य ट्रैप दल सदस्यों की सहायता से ट्रैप बॉक्स मंगवाया जाकर आरोपी पटवारी श्री अंकुश बाघला के हाथों की धोवन लिए जाने संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की गई। ट्रैप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक का डिस्पोजेबल गिलास निकलवाया जाकर उसमें साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया। उपस्थितगण ने घोल रंगहीन होने की पुष्टि की। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी पटवारी का बायां हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को उक्त सोडियम कार्बोनेट घोल में धुलवाए जाने पर धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। उक्त धोवन तरल को दो साफ कांच की शीशीयों में लगभग आधा-आधा भरा जाकर मार्क L-1 व L-2 दिया गया। इसी प्रकार एक अन्य नया प्लास्टिक का डिस्पोजेबल गिलास निकलवाया जाकर उसमें साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया। उपस्थितगण ने घोल रंगहीन होने की पुष्टि की। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को उक्त सोडियम कार्बोनेट घोल में धुलवाए जाने पर धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। उक्त धोवन तरल को दो साफ कांच की शीशियों में लगभग आधा-आधा भरा जाकर मार्क R-1 व R-2 दिया गया। आरोपी पटवारी द्वारा रिश्वत राशि अपनी टेबल की दराज में रखवाकर प्राप्त की गई थी। अतः पटवारी की टेबल की दराज में रिश्वत स्थल की पुष्टि हेतु एक अन्य नया प्लास्टिक का डिस्पोजेबल गिलास ट्रैप बॉक्स से लिया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया। एक साफ कपड़े की चिंदी को साफ पानी से गीला किया जाकर दराज के रिश्वती राशि के स्थल को बार-बार पोंछकर तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट घोल में बार-बार डुबायो जाने पर घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त धोवन तरल को दो साफ कांच की शीशीयों में लगभग आधा-आधा भरा जाकर मार्क T-1 व T-2 दिया गया। उक्त कपड़े की चिंदी को वजह सबूत के रुप में एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर अभिगृहीत किया गया। प्लास्टिक डिस्पोजेबल गिलास को नष्ट करवाया गया। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी पटवारी श्री अंकुश बाघला के बताए अनुसार परिवादी के नामांतरकरण कार्य से लंबित दस्तावेज को उसके कार्यालय में रखी टेबल के ऊपर रखे अन्य दस्तावेजों में से ढूंढ कर प्राप्त कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा में लिया गया। एहतियातन रोके दो व्यक्तियों का पूर्ण विवरण पूछने पर प्रथम व्यक्ति ने अपना विवरण "श्री निवास पुत्र फूसराज, उम्र 25 वर्ष जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं. 1, खाजूवाला, जिला बीकानेर हाल हलका पटवारी श्री 1 एसकेएम-ए, घड़साना', मोबाइल नंबर [redacted] होना बताया। जिससे उपर्युक्त रिश्वत लेनदेन के समय उपस्थिति के कारण के बारे में पूछा तो पटवारी के कार्यालय में अपने अन्य कार्य से आना बताया। दूसरे व्यक्ति ने पूछने पर अपना विवरण "अजायब सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख, उम्र 57 साल निवासी गुरुदयाल कॉलोनी, सखी रोड़, नई मंडी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर, मोबाइल नंबर [redacted] होना बताया। जिससे उपर्युक्त लेनदेन के समय उपस्थिति के कारणों के बारे में पूछा तो स्वयं द्वारा अपने एक परिचित के काम से पटवारी के पास आना बताया। परिवादी से उक्त दोनों व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में पूछने पर परिवादी ने बताया कि उक्त दोनों व्यक्तियों का मेरे कार्य तथा रिश्वत लेनदेन से कोई संबंध नहीं है, उक्त दोनों व्यक्ति अपने ही किसी अन्य कार्य से पटवारी के पास आए गए थे। परिवादी से पूछताछ के अनुसार उपस्थित व्यक्तियों श्रीनिवास तथा श्री अजायब सिंह की गतिविधियां संतोषजनक पाई जाने पर, उक्त दोनों कार्यवाही से कोई संबंध नहीं होने पर दोनों व्यक्तियों को असुविधा कारित न करते हुए कार्यवाही के दौरान आवश्यकतानुसार उपस्थिति देने के निर्देश दिए जाकर मौके से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। पटवारी के उक्त प्राइवेट कार्यालय के स्वामी श्री साहिल पुत्र सतपाल उम्र 28 वर्ष निवासी भादू अस्पताल के पास, नई मंडी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर मोबाइल नंबर [redacted] उपस्थित हुए जिन्होंने बताया कि हमने पटवारी श्री अंकुश बाघला को हमारी उक्त शटर लगी दुकान पटवारी को उसके पटवार हलके के कार्यों के लिए प्राइवेट

कार्यालय के रुप में काम में लेने के लिए किराए पर दी हुई है। श्री साहिल को उचित निर्देश प्रदान किए जाकर मौके से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। आरोपी पटवारी के उक्त प्राइवेट कार्यालय को चैक किया जाने पर आरोपी के पटवार हलका संबंधी बस्ते व दस्तावेज होने पाए गए। आरोपी की मोटरसाइकिल को उसके प्राइवेट कार्यालय के अंदर करवाया जाकर प्राइवेट कार्यालय को तालाबंद करवाया गया। मौके पर आरोपी पटवारी के प्राइवेट कार्यालय में विद्युत संबंधी समुचित व्यवस्था न होने के कारण तथा मौके पर लोगों की अत्यधिक भीड़ लग जाने के कारण शेष कार्यवाही हेतु पटवारी श्री अंकुश बाघला, स्वतंत्र गवाह श्री रामकुमार व्यास जिनके अभिरक्षा में धोवन संबंधी वजह सबूत शीशीयां, स्वतंत्र गवाह जिनकी अभिरक्षा में बरामद ट्रैप राशि 5000 रुपये, समस्त ट्रैप दल को साथ लिया जाकर प्राइवेट वाहनों से लगभग समय 06.00 पी.एम. पर रवाना होकर लगभग समय 06.05 पी.एम. पर पुलिस थाना नई मंडी घड़साना पहुंचा। कार्यवाही हेतु पुलिस थाना में एक कक्ष खुलवाया जाकर आगे की कार्यवाही प्रारंभ की गई। परिवादी को निर्देशित किया जाकर पहने कुर्ते की जेब में उपलब्ध रिश्वत लेनदेन मे शेष बची रिश्वत राशि 5000 रुपये को निकलवाया जाकर स्वतंत्र गवाह श्री रामकुमार व्यास की सहायता से फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत कार्यवाही के नोट क्रमांक 1-10 से नोटों का मिलान हुआ तथा नोटों का विवरण निम्न प्रकार होना पाया गया- क्र.स. नोट का विवरण नोट नम्बर 1. एक 500 रूपये का नोट 2VW 171914 2. एक 500 रूपये का नोट 7SN 270931 3. एक 500 रूपये का नोट 4FF 294994 4. एक 500 रूपये का नोट 3AP 018629 5. एक 500 रूपये का नोट 7FM 140270 6. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711974 7. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711981 8. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711939 9. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711972 10. एक 500 रूपये का नोट 0KW 711983 उक्त वजह सबूत धोवन संबंधी शीशीयां L-1, L-2, R-1, R-2, T-1, T-2 तथा आरोपी के प्राइवेट कार्यालय की टेबल की दराज से बरामद रिश्वत राशि 5000 रुपये, परिवादी के पहने कुर्ते की जेब में शेष बची रिश्वती राशि 5000 रुपये तथा टेबल की दराज का धोवन लेने हेतु उपयोग में ली गई कपड़े की चिंदी को सीलचिट आदि किए जाने संबंधी सीलिंग की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रियानुसार की जाकर उक्त वजह सबूत अभिगृहीत किए गए। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि मुर्तिब की गई। आरोपी श्री अंकुश बाघला पटवारी को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाते हुए जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही में वजह सबूत को सील मोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील नंबर 84 की फर्द नमूना सील तैयार कर शामिल कार्यवाही कागजात की गई। आरोपी श्री अंकुश बाघला पटवारी के निजी कार्यालय से परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज मिले जो जरिए फर्द जब्ती दस्तावेज जब्त किये गये। आरोपी श्री अंकुश बाघला पटवारी के निजी कार्यालय पर ताला लगाया गया था, जिसकी चाबी श्री ओमप्रकाश कानूनगो, तहसीलदार कार्यालय नई मंडी घड़साना को जरिए फर्द सुपुर्द की गई। आरोपी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नई मंडी घड़साना से मेडिकल मुआयना करवाया गया। वक्त 11.35 पीएम पर प्रकरण से संबंधित डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई ऑडियो फाईल व वक्त लेन-देन रिश्वत राशि परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह व आरोपी श्री अंकुश बाघला में मध्य रूबरू हुई वार्ता के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को रूबरू परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह, दोनों स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय लैपटॉप से कनैक्ट कर श्री हरिराम कानिस्टेबल व श्री अमरीक सिंह कानिस्टेबल की सहायता से फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाना शुरू किया जाकर ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। तत्पश्चात मूल मैमोरी कार्ड में सेव वार्ता दिनांक 12.08.2025 की तीन ऑडियो फाईल को लैपटॉप की सहायता से दो पेन ड्राईव तैयार किये गये। एक पैन ड्राईव को कवर में डालकर सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पैन ड्राईव को अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुली अवस्था में रखा गया। वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता दिनांक 12.08.2025 तैयार की गई। जो फर्द दिनांक 13.08.2025 वक्त 02.10 तक पूर्ण की जाकर कर शामिल कागजात की गई। दिनांक 13.08.2025 को वक्त 02.15 एएम पर कार्यवाही में की गई विडियोग्राफी के मूल मैमोरी कार्ड को श्री भगवान दास कानिस्टेबल के जरिए मोबाईल से निकाला जाकर कार्ड रीडर में लगाया जाकर लैपटॉप में कनैक्ट किया गया। विडियोग्राफी संबंधित मूल मैमोरी फोल्डर DCIM-Camera में कुल 5 विडियो क्लिप सेव हैं। जिनकी हैश वेल्यू फर्द में अंकित की गई। मूल मैमोरी कार्ड से कॉपी किये जाकर दो पैन ड्राईव तैयार किये। एक पैन ड्राईव को सैफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलचिट किया व एक पैन ड्राईव अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड को सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क v अंकित किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द विडियोग्राफी व सीलचिट कार्यवाही तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही कागजात की गई। तत्पश्चात वक्त 03.00 एएम पर कार्यवाही में वजह सबूत को सील मोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील नंबर 84 को तोड़कर अनुपयोगी कर नष्ट किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द नष्टीकरण सील पीतल की सील तैयार कर शामिल कार्यवाही कागजात की गई। वक्त 04.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ, गिरफ्तारशुदा अभियुक्त श्री अंकुश बाघला मय जब्तशुदा माल वजह सबूत व ट्रेप सामग्री के जरिए प्राईवेट वाहनों के पुलिस थाना नई मंडी घड़साना से बीकानेर के लिए रवाना होकर वक्त 06.15 एएम पर ब्यूरो चौकी बीकानेर पहुंच जब्तशुदा माल वजह सबूत श्री राजेन्द्र

नाई, मुख्य आरक्षक के जरिए सुरक्षित हालात में जमा मालखाना करवाया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को सुरक्षार्थ पुलिस थाना सदर बीकानेर में हवालात में दाखिल करवाया गया। परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान को हिदायत कर रूखस्त किया गया। आरोपी श्री अंकुश बाघला को पुलिस थाना सदर बीकानेर की हवालात दाखिलशुदा को पुलिस थाना सदर से प्राप्त कर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रतन सिंह कानिस्टेबल व श्री कृष्ण मोहन कानिस्टेबल के जरिए प्राईवेट वाहन व चालक के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री अंकुश बाघला पटवारी के रवाना होकर श्री गंगानगर पहुंचा। आरोपी श्री अंकुश बाघला को जरिए रिमाण्ड फार्म माननीय विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, श्रीगंगानगर में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी न्यायिक अभिरक्षा के आदेश फरमाने पर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में दाखिल करवाया गया। इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम से पाया गया है कि परिवादी श्री बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह, जाति जटसिख, उम्र 38 वर्ष, निवासी 7 सीसी, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर के दादा श्री बख्तावर सिंह के नाम चक 1 एमजीएम तहसील घड़साना में खाता संख्या 31 प.नं. 57/30 मु.नं. 41 किला नं. 1/1 में 0.228 हैक्ट. अ.क., किला नं. 1/2 में 0.025 खाला, किला नं. 2 सालम अ.क., किला नं. 9 ता 13 सालम-सालम अ.क., किला नं. 19 व 20 सालम-सालम अ.क., किला नं. 21/1 में 0.228 हैक्ट. अ.क., किला नं. 22/2 में 0.228 हैक्ट. अ.क., किला नं. 23/2 में 0.228 हैक्ट. अ.क., किला नं. 24/2 में 0.227 हैक्ट. अ.क. इस प्रकार कुल तादादी 3.441 हैक्टेयर का विरासतन नामांतरकरण परिवादी के पिताजी श्री जगरुप सिंह के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की ऐवज में आरोपी श्री अंकुश बाघला, पटवारी पटवार हलका 19 जीडी, तहसील घड़साना अति. चार्ज पटवार हलका 12 जीडी व 2 एमजीएम-बी, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर द्वारा पूर्व में 15,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 11.08.2025 को आरोपी श्री अंकुश बाघला द्वारा परिवादी के कार्य के संबंध में बातचीत कर परिवादी से 10,000/-रूपये रिश्वत राशि का लेन-देन दिनांक 12.08.2025 को तय किया जाना रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से पाया गया। रिश्वत मांग के अनुसरण में आरोपी श्री अंकुश बाघला द्वारा दिनांक 12.08.2025 को वक्त रिश्वत लेन-देन के परिवादी के कार्य के संबंध में बातचीत कर व परिवादी की उपस्थिति में परिवादी का पैंडिंग कार्य करते हुए परिवादी से रिश्वत राशि के संबंध में विस्तृत वार्ता कर परिवादी के लम्बित काम सम्बन्धी ओटीपी आदि लेने की कार्यवाही कर परिवादी के निवेदन पर रिश्वत राशि कम करते हुए 5000 रूपये रिश्वत राशि अपने निजी कार्यालय में अपनी टेबल की दराज में रखवाकर प्राप्त किये जो वक्त ट्रेप आरोपी श्री अंकुश बाघला की टेबल की दराज से बरामद किये गये। आरोपी श्री अंकुश बाघला पुत्र श्री राकेश बाघला, उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नं. 6, महताब कॉलोनी, नई मंडी घड़साना, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर हाल पटवारी पटवारी हलका 19 जीडी, तहसील घड़साना अति. चार्ज पटवार हलका 12 जीडी व 2 एमजीएम-बी, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) के तहत घटित होना पाया जाता है। आरोपी श्री अंकुश बाघला, पटवारी पटवारी हलका 19 जीडी, तहसील घड़साना अति. चार्ज पटवार हलका 12 जीडी व 2 एमजीएम-बी, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को प्रेषित है। (जय कुमार) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जय कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) में आरोपी श्री अंकुश बाघला पुत्र श्री राकेश बाघला, उम्र 30 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 6, महताब कॉलोनी, नई मंडी घड़साना, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर, हाल पटवारी, पटवार हल्का 19 जीडी तहसील घड़साना, अतिरिक्त चार्ज 12 जीडी व 2 एमजीएम-बी, श्रीगंगानगर, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सोनी, उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 284 पर अंकित है।(महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1172-75 दिनांक 14-08-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। 3-जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):** or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** BHUPENDER KUMAR SONI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	23/03/1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)